

सं. 8/2/2015-रा.भा. (सेवा)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी. II भवन वी विंग,
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली
दिनांक 16 मई, 2016

सेवा में

सचिव
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कार्मिकों की FR 56 (जे) एवं CCS (Pension) Rules, 1972 के नियम 48 (1) (b) के अंतर्गत सेवा समीक्षा के संबंध में।

महोदय/महोदया

कृपया उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 4.2.2016 के सम-संख्यक पत्र तथा दिनांक 16.2.2016 के सम-संख्यक अनुस्मारक-I तथा दिनांक 19.4.2016 के सम-संख्यक अनुस्मारक-II का अवलोकन करें। राजभाषा विभाग के उपरोक्त पत्र/ अनुस्मारकों द्वारा इस संबंध में वांछित जानकारी दिनांक 29.4.2016 तक अवश्य उपलब्ध करवाने के अनुरोध के बाद भी जिन मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों से वांछित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उनके विवरण की सूची संलग्न है।

2. आपके मंत्रालय और मंत्रालय के अधीनस्थ विभिन्न विभागों / कार्यालयों से भी वांछित सूचना अभी तक प्राप्त न होने के कारण, राजभाषा विभाग को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकारियों/कार्मिकों से संबन्धित सेवा समीक्षा करने में हो रहे विलंब के कारण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है।

पुनः अनुरोध है कि आप अपने मंत्रालय/विभाग/संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकारियों/कार्मिकों से संबन्धित वांछित जानकारी बिना और विलंब किए प्राथमिकता के आधार पर राजभाषा विभाग को दिनांक 30.5.2016 तक अवश्य उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न : विवरण सूची

भवदीय



(डॉ बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव (राजभाषा)

